

Filling No. sum. 1115/2022

Reg. No. sum. 57/2022

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL
PROCEDURE CODE, 1973

In the court of श्रीमति स्मृति पटेल, Magistrate न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
राजपुर Class Case No of 2022 Complaint or report
madon Name and address of the
complaint---- आरक्षी केन्द्र आबकारी वि. दिपक
Name, parentage, caste and address of accused

आरोपी का नाम दिपक पिता का नाम मोहन उम्र 21 वर्ष
निवासी बड़गाँव थाना राजपुर जिला बड़वानी (म.प्र.)

The offence complained of, and date of, its alleged
commission

आपने दिनांक 16.9.22 को समय 12.30 P.M. बजे, ग्राम बड़गाँव
में एक प्लास्टिक की केन/थैली में 15 पाठ विदेशी मदिरा रखे पाए
गए।

आपका उक्त कृत्य धारा 34 (1) "क" मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम का अपराध
है जो कि इस न्यायालय के सुनवायी क्षेत्राधिकार का है। अतः प्रकट करो की आपको
उक्त अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते है।

(श्रीमति स्मृति पटेल)
न्यायिक मजि.प्रथम श्रेणी राजपुर
जिला बड़वानी म.प्र.

The plea of the accused and his examination (if any)-
अपराध स्वैच्छया स्वीकार है।

दिपक

(श्रीमति स्मृति पटेल)
न्यायिक मजि.प्रथम श्रेणी राजपुर
जिला बड़वानी म.प्र.

// निर्णय //

(आज दिनांक - 20 / 10 / 2022 को घोषित किया गया)

1. अभियुक्त द्वारा अपराध स्वैच्छया स्वीकार किया है। इसलिये अभियुक्त को धारा 34 (1) (क) म0प्र0 आबकारी अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध पाया जाता है।
2. अभियुक्त द्वारा पारित अपराध के स्वरूप को देखते हुए अभियुक्त को परिविक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। अतः अभियुक्त को परिविक्षा अधिनियम का कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है।

अभियुक्त को धारा 34 (1) (क) म0प्र0 आबकारी अधिनियम के दोषसिद्ध अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं रुपये 1500/- (अक्षरी पन्द्रह सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदायगी में व्यतिक्रम करने पर अभियुक्त को 15 दिवस का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जावे।

3. प्रकरण में जप्तशुदा शराब अपराध की सामग्री होने से विधिक प्रक्रिया अनुसार नष्ट कि जावे।

निर्णय, खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
दिनांकित एवं घोषित किया गया।

(श्रीमति स्मृति पटेल)
न्यायिक मजि.प्रथम श्रेणी राजपुर
राजपुर जिला बड़वानी म.प्र.

(श्रीमति स्मृति पटेल)
न्यायिक मजि.प्रथम श्रेणी
राजपुर जिला बड़वानी म.प्र.